

अज अदालत सपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

रफिक बनाम रोशन अली आदि

किस्म मुकदमा 212 आरटीएक्ट नं० 76/12.09.22 रान 2022

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

12-09-22

प्राथी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र गोयल ने पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का पेश किया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राथी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर व प्राथी क शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादाधीन रकबा रोही मौजा चक 1 बीएचपी के खाता सं० 103/78 के मु०न० 103 के किला न० 17 ता 19, 22 ता 24 मु०न० 112 के किला न० 2 ता 4, 7 ता 9 मु०न० 124 के किला न० 10, 11 की कुल 3.542 हे० में अप्रार्थीगण रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। वकील प्राथी अप्रार्थीगण की तामील जरिये रजिस्टर डाक आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करते हुए रजिस्टर डाक की रसीदें 3 दिवस में पेश करें। अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का उज एतराज होने पर असालतन वकालतन न्यायालय में पेश हो। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 01.11.22 को पेश हो।

*[Handwritten signature]*

1.11.22

पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... *[Handwritten signature]* को पेश हो।

2.11.22

पत्रावली पेश की वकील प्राथी उजली वकील प्राथी ने पत्रावली में *Not Press* अंगीकृत रवासीजा बिना अ निवेदन किया, पत्रावली का अवलोकन किया जाकर पत्रावली अ प्राथी फर्द पर रवासीजा बिना की जा रही है पत्रावली नमूने में अंग की जाकर शक्ति रखा गया *[Handwritten signature]*

*Not Press*

*[Handwritten signature]*

4.000

*[Handwritten signature]*